संख्या-286/2026/3573/22-2-2023-17(1302)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पुत्र श्री चुन्नीलाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पुत्र श्री चुन्नीलाल, मौहल्ला-सराय देवीदास, थाना-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 10.07.2013 को श्रीमती भावना की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1111/2013 में भा०द०वि० की धारा-498ए, 302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-01, अलीगढ़ के दण्डादेश दिनांक 30.06.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 07.06.2023 तक अपरिहार 09 वर्ष, 10 माह, 27 दिन तथा 12 वर्ष, 01 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 07.06.2023 तक लगभग 68 वर्ष, 06 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पुत्र श्री चुन्नीलाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 68 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा अपरिहार 09 वर्ष, 10 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 01 माह की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश(बन्दी संख्या-18635) पुत्र श्री चुन्नीलाल,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निवासी जनपद-अलीगढ़ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 286/2026/3573(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।